दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO :- CHHHIN16931 || email :- nyaysakshi@gmail.com || रायगढ़, गुरूवार 27 सितंबर 2018 || पृष्ठ-8, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-01 , अंक-02

महत्वपूर्ण एवं खास

ब्रिटेन की नोरा 100 साल की उम्र में तीसरी बार बनेंगी दुल्हन

प्रेस्टाटन (आरएनएस)। कहते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती और साथ रहने का फैसला जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर भी किया जा सकता है। ब्रिटेन के प्रेस्टाटन शहर की 100 साल की एक बुजुर्ग महिला नोरा विटकिस ने इस बात को शायद अपने जीवन का आधार बना लिया है। उम्र में अपने से 26 साल छोटे साथी से शादी करने का फैसला ले लिया है। नोरा और उनके साथी मैलकम याटिस पिछले 30 साल से एक-दूसरे के साथ हैं।

पाकिस्तानी पतियों की पत्नियां चीन की कैद में

वापसी के लिए पति लगा रहे गुहार

लाहौर (आरएनएस)। पाकिस्तान के कई पति इन दिनों पेइचिंग दूतावास के चक्कर काट रहे हैं। फॉक्स न्यूज में छपी खबर के अनुसार, दरअसल इन पतियों की पत्नी चीन के शिनजियांग प्रांत में हैं, जहां बड़ी संख्या में उइगर मुसलमान रहते हैं। चीन ने इनकी पत्नी और बच्चों के पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं और अब परिवार से फिर से मिलने के लिए ये लोग दो देशों की सरकार से गुहार लगा रहे हैं।

गुटेरेस ने परमाणु अप्रसार, निरस्त्रीकरण का आह्वान किया

संयुक्त राष्ट्र (आरएनएस)। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बुधवार को दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियार अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मानव सुरक्षा के लिए खतरा हैं। इन हथियारों के कारण उत्पन्न इस खतरे को खत्म करने का एक मात्र समाधान इन हथियारों को खत्म करना ही है।

आधार पर सुप्रीम फैसले को केंद्र ने बताया ऐतिहासिक

कांग्रेस पर कसा तंज

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार की वैधता को बरकरार रखने के फैसले का केंद्र सरकार ने स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। केंद्र ने कहा कि शीर्ष अदालत ने तकनीक की महत्ता को बरकरार रख साफ कर दिया है कि इसके आलोचकों का विरोध सही नहीं है। सरकार ने कहा कि आधार के कारण देश के 90 हजार करोड़ रुपये बच रहे हैं। कांग्रेस पर तंज कसते हुए सरकार ने कहा कि इस योजना को लाने वाले को यह पता ही नहीं था कि इसमें आगे करना क्या है।

अयोध्या मामले से जुड़े केस में आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। अयोध्या मामले से जुड़े एक महत्वपूर्ण पहलू पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फैसला सुना सकता है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का आंतरिक हिस्सा है या नहीं। अयोध्या का राममंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अयोध्या की जमीन किसकी है, इस पर अभी सुनवाई की जानी है।

बीजेपी विधायक संगीत सोम के घर बंदूक और ग्रेनेड से हमला

मेरठ (आरएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक संगीत सोम के मेरठ स्थितघर पर बुधवार-गुरुवार रात कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में धुआंधार गोलीबारी की गई और ग्रेनेड भी फेंके गए। हालांकि, विधायक या अन्य किसी को कोई चोट या नुकसान नहीं पहुंचा है। जो ग्रेनेड फेंका गया, वह फटा ही नहीं, जिसके चलते कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।

इस मामले में खुद विधायक संगीत सोम ने बताया, मुझे किसी भी प्रकार का थ्रेट कॉल नहीं आया था। हां, दो साल पहले एक धमकी में मुझे कहा गया था कि मुझपर ग्रैनेड से हमला किया जाएगा। बताते चलें कि संगीत सोम कई बार अपने विवादों को लेकर चर्चा में रहे हैं। सोम को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे मेरठ के एसएसपी ने कहा, हमें सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि घटना लगभग 12:45 पर हुई। हमें कुछ खाली कारतूस मिले हैं और गोलियों के निशान की जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है। एक हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुआ है। कोई नुकसान या चोट नहीं आई है। गार्ड के केबिन और मुख्य दरवाजे को निशाना बनाकर फायरिंग की गई थी।

पीएम मोदी भी कॉल ड्रॉप्स की समस्या से परेशान

तकनीकी समाधान का दिया निर्देश

नई दिल्ली (आरएनएस)। अगर आपको लगता है कि कॉल ड्रॉप्स से केवल आप और हम ही परेशान हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इससे अछूते नहीं हैं।

कंपनियों और बैंकों से आधार डेटा डिलीट करने को कह सकते हैं आप

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आधार को लेकर तमाम अनिश्चितताएं दूर हो गई हैं। ऐसे में अब आप टेलिकॉम कंपनियों, बैंकों, म्यूचुअल फंडों और इंश्योरेंस कंपनियों के रेकॉर्ड में दर्ज अपनी सूचनाओं को डिलीट करने को कह सकते हैं। पहले कानूनी स्पष्टता न होने के कारण इन संस्थानों ने बायोमीट्रिक और दूसरी डीटेल्स मांगी थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्राइवेट कंपनियों के साथ आधार लिंकेज अनिवार्य नहीं है।

ऐसे में अब ग्राहकों को यह अधिकार मिल गया है कि वे अपनी डीटेल्स को हटाने या डिलिट करने की मांग कर सकते हैं। हालांकि अगर कोई ऐसी मांग करता है तो उसे पहचान पत्र के तौर पर पासपोर्ट, वोटर आईडी और बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत पड़ सकती है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कोई भी अपने आधार डीटेल्स को डिलिट करवा सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि इस बात को स्पष्ट करने की जरूरत है और तमाम लिंकेज से डील करनेवाले संबंधित मंत्रालयों द्वारा इस बारे में जानकारी देने की भी जरूरत होगी। अधिकारी ने बताया, जैसे वोडाफोन-आइडिया, एयरटेल और रिलायंस जियो जैसी टेलिकॉम कंपनियों के साथ आपका जो डेटा स्टोर है, उसे डिलिट करने को लेकर टेलिकॉम मिनिस्ट्री द्वारा

निर्देश जारी होने चाहिए। इसी प्रकार से आरबीआई या वित्त मंत्रालय बैंकों या वित्तीय संस्थानों में दर्ज आधार डीटेल्स के बारे में निर्देश देगा।

उधर, मोबाइल ऑपरेटर्स असोसिएशन (सीओएआई) के महानिदेशक राजन मैथ्यू ने कहा कि टेलिकॉम कंपनियां सरकार से निर्देश मिलने का इंतजार करेंगी। मैथ्यू ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से लागू करेंगे। अभी टेलिकॉम मिनिस्ट्री से स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे हैं।

ऐसे कराइए डीलिंक

अगर अपने डिजिटल वॉलिट और बैंक से आधार लिंक करा रखा है, तो आपको डेटा सिक्योरिटी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही आसान तरीके से इसे डीलिंक कर सकते हैं। आपने बैंक से आधार लिंक करा रखा है, तो आपको बैंक जाना पड़ेगा क्योंकि आप इसे ऑनलाइन डीलिंक नहीं करा सकते हैं। बैंक जाकर आप कस्टमर केयर से 'अनलिंक आधार' का फॉर्म लें और उसे भरकर जमा कराएं। 48 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट से आधार डीलिंक हो जाएगा। आप बैंक को कॉल करके भी इसके बारे में पूछ सकते हैं।

पेटीएम से ऐसे कराएं आधार डीलिंक

अगर आपने पेटीएम से आधार लिंक करा रखा है, तो कस्टमर केयर नंबर 01204456456 पर कॉल करें और उनसे कहें कि वे आपको आधार अनलिंक कराने से जुड़ा ईमेल भेजें। इसके बाद आपको पेटीएम का ईमेल मिलेगा, जिसमें आपको आधार की एक सॉफ्ट कॉपी अटैच करने को कहा जाएगा।

इसके बाद आपको एक मेल आएगा, जिसमें कहा जाएगा कि आपका आधार अगले 72 घंटे में पेटीएम वॉलिट से डीलिंक हो जाएगा। आप 3 दिन बाद चेक कर सकते हैं कि आधार डीलिंक हुआ कि नहीं।

तबाह कैंप पाक ने किए आबाद, 250 आतंकी मौजूद

श्रीनगर (आरएनएस)। एक तरफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी की मदद से करीब 230 आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। इंटेलिजेंस के एक सूत्र के मुताबिक, एलओसी (नियंत्रण रेखा) के पास पाकिस्तान के करीब 27 कैम्प (लॉन्च पैड) बना रखे हैं, जहां से आतंकी भारत में घुस सकते हैं। इनमें से आठ कैम्प तो पिछले एक महीने के दौरान स्थापित किए गए। पाकिस्तान में इमरान के प्रधानमंत्री बनने के बाद से करीब 250 आतंकियों ने इन कैम्पों में डेरा डाल रखा है। गौरतलब है कि हाल में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात न्यू यॉर्क में प्रस्तावित थी, जिसे भारत ने एलओसी पर भारतीय जवानों की हत्या के विरोध में रद्द कर दिया था।

इंटेलिजेंस के सीनियर अधिकारी के मुताबिक, पाकिस्तान ने लिपा स्थित कैम्प को फिर से बसा लिया है, जिसे भारतीय सेना ने दो साल पहले सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक कर तबाह कर दिया था। हालांकि,

सर्जिकल स्ट्राइक में तबाह भिंबर गली स्थित कैम्प को दोबारा बसाया नहीं जा सका है।

लश्कर-हिज्बुल चला रहे पीओके में कैंप

पिछले एक महीने के दौरान पीओके (पाक कब्जे वाला कश्मीर) क्षेत्र में जो नए कैम्प स्थापित किए गए हैं, उनमें लिपा, चकोठी, बरारकोट, शार्डी, जूरा स्थित कैम्पों को लश्कर-ए-तैयबा चला रहा है। वहीं, तीन कैम्प हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। इसके अलावा पीओके में चनानिया, मंदीकली और नौकोट में भी लश्कर कैम्प चला रहा है, जहां 25-30 घुसपैठिए डेरा डाले हुए हैं। ये कैम्प भारत के उड़ी और कुपवाड़ा के बीचोबीच नौगाम सेक्टर के ठीक दूसरी तरफ हैं।

जम्मू-कश्मीर पंचायत चुनाव हैं निशाना

इंटेलिजेंस सूत्रों का कहना है कि इंटरनैशनल बॉर्डर पर घुसपैठियों में जो हालिया सक्रियता देखी जा रही है, उसका मकसद जम्मू-कश्मीर में होने वाले पंचायत चुनावों को प्रभावित करना है। साथ ही दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाना भी है। अधिकारियों के मुताबिक, घुसपैठ को रोकने के लिए, सुरक्षा बल ऑपरेशन ऑल आउट पर विचार कर रहे हैं। इसमें घुसपैठियों के विरुद्ध बॉर्डर को पुख्ता करना भी शामिल है।

बुरहान एनकाउंटर के बाद घुसपैठ की कोशिशें बढ़ीं

इंटेलिजेंस के अधिकारी ने बताया कि जिन जगहों पर ये कैम्प चल रहे हैं, उसका भौगोलिक महत्व भी है।

महिला को गलत तरीके से छूने के लिए भारतीय पर आरोप तय

दुबई (आरएनएस)। दुबई की एक अदालत ने भारतीय व्यक्ति पर एक महिला को देर रात टहलने के दौरान अमर्यादित तरीके से छूने के लिए आरोप तय किए हैं। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने सोमवार को 30 वर्षीय भारतीय चालक पर अचानक फिलीपींस की महिला से बातचीत करने, अमर्यादित तरीके से छूने और उसके बाद घटनास्थल से भाग जाने का आरोप लगाया।

आरोपी ने आरोपों से इनकार किया है और कहा कि उसने अनजाने में महिला को छुआ। शिकायतकर्ता एक 25 वर्षीय महिला वेटर है और उसने अभियोजक से कहा कि वह आरोपी को नहीं जानती। उसने कहा, '3 अगस्त को रात के 1 बजकर 20 मिनट पर, मैं एक रेस्तरां के पास थी और एक सुपरमार्केट जाने वाली थी। मेरा दोस्त मेरे साथ था।

इंडोनेशिया का युवा 49 दिन तक समुद्र में रहा फंसा, मछली खाकर बचाई जान

जकार्ता (आरएनएस)। इंडोनेशिया का एक किशोर समुद्र की लहरों के बीच खो गया और किसी तरह एक अनजान तट पर पहुंचा। इस मुश्किल परिस्थिति में भी इस युवा ने जिंदगी की उम्मीद नहीं छोड़ी और समुद्री मछलियां खाकर और समुद्री पानी पीकर जिंदा रहा। जकार्ता पोस्ट में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, पेशे से मछली पालन की कंपनी से जुड़े युवक ने अपने अनुभव का प्रयोग किया और जिंदगी पर जीत हासिल की। वर्षा होने के दौरान वह

अपने कपड़ों में पानी जमाकर उन्हें पी लेता था।

अल्दी नोवल अदिलांग नाम का 19 का युवा मछली पकड़ने के लिए प्रयोग होने वाले रोमपोंग (जहाज जैसा कुछ) पर लैंपकीपर का काम करता था। नॉर्थ सुलावेसी के किनारे से 125 किमी. की दूरी पर जब वह तैनात था तभी उसका संपर्क टूट गया और वह पानी के साथ बहकर दूसरे छोड़ पर चला गया। रोमपोंग की खासियत होती है कि इसमें पैडल नहीं होता है इसलिए, यह बहाव के साथ ही चलती है। जुलाई में आए तूफान के बाद अल्दी का रोमपोंग भी समुद्र में दिशा भटककर बह गया।

पिछले महीने 31 अगस्त को जब प्रशांत महासागर का एक जहाज उस तरफ से गुजरा तो अल्दी ने सूझबूझ से काम लिया। उसके पास एक वॉकी-टॉकी था, जिस पर उसने फ्रीक्वेंसी सेट की और जहाज के कप्तान से संपर्क किया। अल्दी को ढूंढने के लिए कई बार बचाव दल भी गए, लेकिन संपर्क नहीं हो पाने के कारण उस तक नहीं पहुंच सके। आखिरकार 49 दिन के संघर्ष के बाद अल्दी को मदद मिली और वह समंदर से सुरक्षित वापस पहुंच सका।

पति, पत्नी और वो का रिश्ता अब अपराध नहीं

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली (आरएनएस)। पति, पत्नी और वो का रिश्ता अब अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अडल्टरी यानी विवाहेतर संबंध को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया है। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 में अडल्टरी को अपराध बताने वाले प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया। गुरुवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस आरएफ नरीमन की पांच जजों की बेंच ने एकमत से यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने हालांकि कहा कि अडल्टरी तलाक का आधार रहेगा और इसके चलते खुदकुशी के मामले में उकसाने का केस भी दर्ज हो सकेगा। यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने महिलाओं की इच्छा, अधिकार और सम्मान को सर्वोच्च

बताया और कहा कि उन्हें सेक्सुअल चॉइस से रोका नहीं जा सकता है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने अपने और जस्टिस खानविलकर की ओर से फैसला पढ़ते हुए कहा, 'हम विवाह के खिलाफ अपराध के संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 497 और सीआरपीसी की धारा 198 को असंवैधानिक घोषित करते हैं।' अलग से अपना फैसला पढ़ते हुए न्यायमूर्ति नरीमन ने धारा 497 को पुरातनपंथी कानून बताते हुए जस्टिस मिश्रा और जस्टिस खानविलकर के फैसले के साथ सहमति जताई। उन्होंने कहा कि धारा 497 समानता का अधिकार और महिलाओं के लिए समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन करती है।

अडल्टरी रहेगा तलाक का आधार

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अडल्टरी अपराध तो नहीं होगा, लेकिन अगर पति और पत्नी में से कोई अपने पार्टनर के व्यभिचार के कारण खुदकुशी करता है, तो सबूत पेश करने के बाद इसमें खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला चल सकता है।

महिला के सेक्सुअल चॉइस को रोकता है कानून

जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि अडल्टरी कानून मनमाना है। उन्होंने कहा कि यह महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाता है।

अडल्टरी कानून महिला की सेक्सुअल चॉइस को रोकता है और इसलिए यह असंवैधानिक है।

कांग्रेस-बीजेपी में क्रेडिट लेने की होड़

आधार पर सुप्रीम फैसला

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार की वैधता को बरकरार रखने के बाद सरकार और विपक्ष में इसका श्रेय लेने की होड़ लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस के लिए आधार सशक्तीकरण का एक साधन था। बीजेपी के लिए यह उत्पीड़न और निगरानी का हथियार था। कांग्रेस के विजन का समर्थन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। वहीं जेटली ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि इस योजना को लाने वालों को तो पता ही नहीं था कि इसमें आगे करना क्या है।

इसके अलावा कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर मोदी सरकार पर भी तंज कसा। इसमें कहा, मोदी सरकार द्वारा निजी डेटा अवैध ढंग से बांटने पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। पीएम मोदी लोगों की निजता के उल्लंघन का जवाब दें और बताएं कि वह उन आंकड़ों की सुरक्षा कैसे करेंगे, जिन्हें सरकार हमसे ले चुकी है।

इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए, इसका स्वागत किया था। वित्त मंत्री और बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा कि इसके आलोचकों का विरोध करना सही नहीं है। जेटली ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि इस योजना को लाने वालों को तो पता ही नहीं था कि इसमें आगे करना क्या है।

कांग्रेस पर तंज कसते हुए जेटली ने कहा कि कांग्रेस इस फैसले से चिंतित है। उन्होंने कहा, कांग्रेस जरूर इस आइडिया को लाई, लेकिन उसे यह पता ही नहीं था कि इसमें आगे करना क्या है। कांग्रेस आधार का सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के निजी कंपनियों को शेयर किए आधार डेटा की निजता पर उठाए गए सवाल के जवाब जेटली ने कहा कि उनके पास सिब्बल के राजनीतिक मंशा वाले सवाल का जवाब नहीं है। आधार का डेटा बिल्कुल सुरक्षित है।

इस फैसले से तकनीक को मिलेगा बढ़ावा

जेटली ने कहा कि आधार तकनीक को आगे बढ़ाने का तरीका है। अगर तकनीक का इस्तेमाल नहीं होगा तो दिक्कतें होंगी। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आधार के वित्त विधेयक बिल के तौर पारित होने को भी सही ठहराया है। जेटली ने कहा कि कुछ लोगों का काम विरोध करना है। सरकार गवर्नेंस के लिए बेहतर आइडिया सबके सामने लाई है।

इससे लोगों को लाभ मिलता रहेगा। वित्त मंत्री ने आधार के लिए नंदन नीलकेणी और अजय भूषण पांडेय की तारीफ करते हुए कहा कि इन दोनों शख्स के प्रयास से आधार आगे बढ़ा है।

अनंतनाग में लश्कर कमांडर ढेर, 1 जवान शहीद

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में गुरुवार को सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां मुठभेड़ के दौरान लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर मारा गया है। आतंकवादियों से एनकाउंटर में एक जवान शहीद हो गया। गुरुवार सुबह ही सेना और आतंकियों के बीच कश्मीर घाटी में कई जगहों पर गोलीबारी शुरू हो गई।

सुरक्षाबलों को अनंतनाग के दूरू इलाके में आतंकवादी गतिविधि की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया। इसी दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई। एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू उकाशा ढेर हो गया। सूत्रों ने बताया, सेना के तीन जवान घायल हुए हैं, जिसमें से एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर अनंतनाग जिले में मोबाइल और इंटरनेट सेवा रोक दी है।

अनंतनाग के दूरू शाहबाद में एक आतंकी को मार गिराए जाने के बाद गोलीबारी थम गई। इसके तुरंत बाद सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया गया। बता दें कि सुरक्षाबलों ने श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके नूरबाग में भी दो आतंकियों को घेर रखा है और दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है।

19 लग्जरी आइटम्स पर बढ़ा आयात शुल्क

महंगे हो जाएंगे एसी, फ्रिज जैसे सामान

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने ऐशो-आराम के सामान (लग्जरी आइटम्स) पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (मूल सीमा शुल्क) बढ़ाने का फैसला ले ही लिया। सरकार ने 19 लग्जरी आइटम्स पर आयात शुल्क में वृद्धि की है। यानी, अब विदेशों से आनेवाले ये सामान अब महंगे हो जाएंगे। दरअसल, रुपये के मुकाबले डॉलर के भाव में लगातार आ रही मजबूती की वजह से संभावना जताई जा रही थी कि भारत सरकार चालू खाता घाटे को नियंत्रण में रखने के लिए विदेशों से खरीदे जानेवाले कुछ गैर-जरूरी सामानों के आयात रोकने की रणनीति के तहत इन पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान करेगी।

बहरहाल, सरकार का यह फैसला बुधवार रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। यानी, आज आधी रात से इन 90 सामानों के आयात पर बढ़े हुए दर से आयात शुल्क देना होगा।